

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म0प्र0)
{ पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

व्यवहार वाद क्र. 130-ए/2017
संस्थापन दि. 27.09.2017
फाईलिंग नं. आर.सी.एस.ए/717/2017

1. श्रीमती राजदुलारी पति सुखबीर अग्रवाल, उम्र 69 वर्ष,
2. विजय कुमार पिता स्व. सुखबीर अग्रवाल, उम्र 47 वर्ष,
3. दीपक कुमार पिता स्व. सुखबीर अग्रवाल, उम्र 42 वर्ष,
 तीनों निवासी वार्ड नं. 29, हनुमान चौक, डिलक्स होटल
 बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट(म0प्र0).....**आवेदक / वादी**

// विरुद्ध //

1. कृष्ण मोहन अग्रवाल पिता स्व. रतनलाल, उम्र 64 वर्ष,
 निवासी ओरम सीटी नवेगांव, प्लॉट नं. 127, तह. व जिला बालाघाट,
2. श्रीमती गुलाबबाई पति स्व. धरमवीर अग्रवाल, उम्र 68 वर्ष,
3. प्रवीण कुमार पिता धरमवीर अग्रवाल, उम्र 48 वर्ष,
4. पंकज कुमार पिता स्व. धरमवीर अग्रवाल, उम्र 44 वर्ष,
5. प्रतीत पिता धरमवीर अग्रवाल, उम्र 40 वर्ष,
 कं. 2 से 5 निवासी प्लॉट नं. 380, साकेत नगर, इन्दौर,
 पो0 तहसील व जिला इन्दौर म.प्र.।
6. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट
 जिला बालाघाट (म.प्र.)**अनावेदकगण / प्रतिवादीगण**

-
1. आवेदकगण/वादीगण द्वारा श्री संतोष शुक्ला अधिवक्ता।
 2. प्रतिवादी/अनावेदक कं. 1 द्वारा श्री डब्ल्यू एस.रंगलानी अधिवक्ता।
 3. प्रतिवादी कं. 2, से 6 पूर्व से एकपक्षीय।
-

// आदेश //

{ आज दिनांक 15.12.2017 को पारित }

1. इस आदेश द्वारा आवेदकगण/वादीगण की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश-39 नियम-1 व 2 तथा धारा-151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर-1 का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर-1 संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण/वादीगण कं. 1 के वादी कं. 1 से 3, नैसर्गिक पुत्र है और साथ में निवास करते हैं। वादी कं. 1 को उनकी सास श्रीमती प्रेमवती विधवा रतनलाल अग्रवाल ने मौजा ग्राम धनसुआ, प.ह.नं.16, रा.नि.म. + विकासखण्ड बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट में स्थित खसरा नं. 173 रकबा 2.152 हेक्टेयर तथा खसरा नं. 174/1 रकबा 1.327 हेक्टेयर कुल 8.61 एकड़ भूमि के संबंध में वसीयतनामा मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए दिनांक 16.05.2000 को

निष्पादित किया था तथा उस आधार पर वादी क्रमांक 01 द्वारा नायब तहसीलदार महोदय बालाघाट के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था एवं नायब तहसीलदार के न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर वादी क्रं. 1 का नाम दिनांक 04.07.2005 को रा.प्र.क्रं. -19 अ-6 वर्ष 2003-04 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2005, को मंजूर करते हुए आदेश पारित किया था और हल्का पटवारी नंबर 16 को उक्त आदेश के अनुसार राजस्व प्रलेख दुरुस्त करने आदेश भी पारित किये थे, किंतु हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10.06.2016, को यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि पूर्व से इस भूमि पर प्रतिवादियों के नाम एवं वादी क्रमांक 01 का भी नाम इन्द्राज हो चुका है, इसीलिए राजस्व प्रलेख दुरुस्त नहीं किये जा सकते, प्रतिवादी ने सब तथ्यों की जानकारी होने के पश्चात् भी उसके द्वारा वादीगणों को बिना सूचना दिये मां प्रेमवती विधवा स्तनलाल की मृत्यु के पश्चात् पंचायत से मिलकर नाम चढ़वा लिया है। जबकि उसे मां प्रेमवती द्वारा की गई वसीयत की जानकारी भी थी और उसका फायदा उठाकर मौजा धनसुआ में स्थित कृषि भूमि जो वादपत्र कंडिका 02 में दर्शाई गई है के संबंध में तहसीलदार महोदय बालाघाट के न्यायालय में बंटवारे की कार्यवाही भी प्रस्तुत कर दिया है।

3. आवेदकगण/वादीगण ने आगे यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा अपने स्वयं की ओर से ही सबका नाम दर्शाते हुए बंटवारा कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें नोटिस तामिली होने पर वादीगण द्वारा स्पष्ट आपत्ति ली गई कि प्रकरण में वसीयतनामा वादी क्रं. 1 के पास में निष्पादित होने एवं नामांतरण के आदेश होने से टाईटिल का प्रश्न उत्पन्न हो गया है और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 23.09.2001 को जो नामांतरण हुआ है वह वादीगण पर बंधनकारी नहीं है। अतः प्रकरण निरस्त किया जावे तथा इस संबंध में न्यायालय को बंटवारा करने का क्षेत्राधिकार भी नहीं रह जाता, किंतु उसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है और बंटवारा कार्यवाही निरंतर जारी है। यदि इन परिस्थितियों में राजस्व न्यायालय द्वारा बंटवारे की कार्यवाही संपन्न कर दी जावेगी तो वादीगण को अनेक परेशानी में उलझना पड़ेगा और उनके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वादी वादग्रस्त भूमि पर वसीयतनामा अनुसार कब्जे में चले आ रहे हैं तथा आज भी है। प्रकरण की परिस्थिति अनुसार प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन व अपूर्ण क्षति का बिंदु वादी के हक में है। यदि राजस्व न्यायालय में प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रकरण क्रं.-अ 27 वर्ष 2016-17 कृष्ण मोहन अग्रवाल में बंटवारा कार्यवाही अंतरिम निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित एवं प्रतिबंधित नहीं किया गया तो प्रकरण में बहुवादिता उत्पन्न होगी और वादी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उक्त प्रकरण में वैधानिक रूप से टाईटिल का प्रश्न उत्पन्न हो चुका है और दो नामांतरण हो जाने से भी वैधानिक रूप से विवाद उत्पन्न हो चुका है। अतः ऐसी परिस्थिति में तहसीलदार बालाघाट के न्यायालय में चल रहे उक्त बंटवारा प्रकरण की कार्यवाही को अंतरिम निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाना अत्यंत आवश्यक व न्यायवत है, क्योंकि प्रकरण के निराकरण में समय लगना है। अतः ऐसी स्थिति में अंतरिम निषेधाज्ञा पर त्वरित सुनवाई किया जाना भी न्यायवत होगा।

4. अनावेदक/प्रतिवादी क्रं. 1 ने आवेदकगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट कथन में यह अभिवचन किया है कि अनावेदक/प्रतिवादी क्रं.1 की मा श्रीमती प्रेमवती अग्रवाल द्वारा दिनांक 16.

05.2000 को ग्राम धनसुआ तह व जिला बालाघाट में स्थित वादग्रस्त संपत्ति ख.नं. 173 रकबा 2.152 हेक्ट तथा ख.न. 174/1 रकबा 1.327 हेक्ट. इस तरह कुल 8.61 एकड़ भूमि का कोई वसीयतनामा वादी कं. 1 श्रीमती राजदुलारी के हक में निष्पादित नहीं किया गया था तथा उक्त वसीयतनामा में प्रतिवादी कं. 1 की मां श्रीमती प्रेमवती अग्रवाल का सुखबीर अग्रवाल के घर में रहवास करना एवं सुखबीर अग्रवाल द्वारा उनकी देखभाल करना तथा उक्त भूमि में सुखबीर अग्रवाल द्वारा काशत करना दर्शाया गया है एवं वादग्रस्त भूमि सुखबीर अग्रवाल द्वारा अपनी मां श्रीमती प्रेमवती के नाम से कय करना दर्शाया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि पड़ भूमि थी, तथा उसमें प्रारंभ से कभी भी काशत नहीं की गई एवं प्रतिवादी कं. 1 की मां श्रीमती प्रेमवती कभी भी सुखबीर अग्रवाल के साथ नहीं रही तथा वह प्रारंभ से ही प्रतिवादी कं. 1 के घर में ही रहती थी तथा उसका पालन पोषण प्रतिवादी कं. 1 द्वारा ही किया जाता था तथा वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी कं. 1 के पिता स्व. रतनलाल अग्रवाल द्वारा प्रतिवादी कं. 1 की मां श्रीमती प्रेमवती अग्रवाल के नाम से कय की गई थी। जिससे भी यह स्पष्ट है कि ऐसी कोई वसीयत प्रतिवादी कं. 1 की मां श्रीमती प्रेमवती अग्रवाल द्वारा कभी वादी कं. 1 के हक में निष्पादित नहीं की गई थी, इसके अतिरिक्त दिनांक 16.05.2000 को प्रतिवादी कं. 1 की मां श्रीमती प्रेमवती अग्रवाल के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं तथा उक्त वसीयतनामा दिनांक 16.05.2000 कूटरचित है।

5. अनावेदक/प्रतिवादी कं. 1 ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि प्रतिवादी कं. 1 की मां श्रीमती प्रेमवती अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 27.01.2001 को बालाघाट में हो चुकी है तथा श्रीमती प्रेमवती अग्रवाल की मृत्यु के पश्चात् उनके मालकी की उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी कं. 1 तथा उनके भाईयों धर्मवीर अग्रवाल, सुखबीर अग्रवाल का नामांतरण दिनांक 23.09.2001 को ग्रामसभा के प्रस्ताव क्रमांक 10 के आधार पर दर्ज किया गया था तथा यदि ऐसा कोई वसीयतनामा प्रतिवादी कं. 1 के भाई सुखबीर अग्रवाल की पत्नि श्रीमती राजदुलारी अग्रवाल के हक में प्रतिवादी कं. 1 की मां श्रीमती प्रेमवती द्वारा दिनांक 16.05.2000 को निष्पादित किया गया होता तो प्रतिवादी कं. 1 की मां श्रीमती प्रेमवती की मृत्यु के पश्चात् जब प्रतिवादी कं. 1 एवं उनके भाईयों अर्थात् वादी कं. 1 के पति का संयुक्त नाम दर्ज किया गया तब उस समय वादी कं. 1 द्वारा नामांतरण पर आपत्ति की जा सकती थी तथा उस वसीयतनामा दिनांक 16.05.2000 के आधार पर वादी कं. 1 द्वारा अपना नाम दर्ज कराये जाने हेतु ग्राम पंचायत अथवा राजस्व न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता था जबकि उस समय सुखबीर अग्रवाल एवं बड़े भाई धर्मवीर अग्रवाल भी जीवित थे।

6. अनावेदक/प्रतिवादी ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि प्रतिवादी कं. 1 के माता पिता द्वारा जब भी कोई वसीयत परिवार के किसी सदस्य के नाम पर निष्पादित की गई थी तब उक्त वसीयत में अपने परिवार के अन्य सदस्यों अथवा अपने पुत्रों के हस्ताक्षर बतौर गवाह लिये जाते थे, परंतु प्रतिवादी कं. 1 की मां श्रीमती प्रेमवती अग्रवाल द्वारा कथित निष्पादित कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 16.05.2000 में बतौर साक्षी किसी राजेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं शैलेश वैद्य के हस्ताक्षर हैं जो कि परिवार के सदस्य नहीं हैं। जिससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त वसीयतनामा दिनांक 16.05.2000 पूर्णतः कूटरचित होकर प्रतिवादी कं. 1 की मां श्रीमती प्रेमवती की मृत्यु के पश्चात् परिवार की संपत्ति को हड़प करने की दुर्भावना

से वादी क्रं. 1 द्वारा बनवा लिया गया है। फलस्वरूप ऐसे कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 16.05.2000 के आधार पर वसीयतशुदा संपत्ति में वादी क्रं. 1 को कोई हक या अधिकार प्राप्त नहीं होता तथा उक्त वसीयतनामा से दर्शाई भूमि में प्रतिवादी क्रमांक 1 तथा उसके दोनों भाईयों सुखबीर अग्रवाल एवं धर्मवीर अग्रवाल के वारसान का बराबर का हक व हिस्सा है। वादग्रस्त संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्रं. 1 की मां की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी क्रं. 1 तथा उसके दोनों भाईयों का संयुक्त नाम विधिवत दिनांक 23.09.2001 को दर्ज हो चुका है इस तरह प्रथम दृष्टया वाद वादीगण के पक्ष में न होकर प्रतिवादी क्रं. 1 तथा उसके भाईयों के वारसान के हक में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादी क्रं. 1 के हक में है तथा बंटवारे की कार्यवाही स्थगित किये जाने की स्थिति में अपरिमित क्षति भी एकमात्र प्रतिवादी क्रं. 1 की होना संभावित है तथा कथित कूटरचित वसीयतनामा के आधार पर बंटवारे की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती। अतः भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पत्र कानूनन पोषणीय न होकर निरस्त होने योग्य है। अतः आवेदन निरस्त किया जावे।

7. विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :-

- 1- क्या प्रथमदृष्टया मामला आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में सुदृढ़ है ?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है ?
- 3- क्या आवेदकगण/वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2, 3 के संबंध में:-

8. सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदकगण/वादीगण ने यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उसकी सास ने वादग्रस्त भूमि वसीयतनामा के आधार पर उसे वसीयत कर दी थी और उक्त वसीयतनामा के आधार पर नायबतहसीलदार ने आदेश दिनांक 04.07.05 को उसके नाम राजस्व दस्तावेज में वादग्रस्त भूमि दर्ज किये जाने बाबत आदेश भी दिये गये थे, किंतु हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10.06.16 को यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण एवं वादी क्रं. 1 के नाम का इन्द्राज हो चुका है, जबकि प्रतिवादीगणों को वसीयतनामे की जानकारी है। अब वर्तमान में प्रतिवादीगण के द्वारा बंटवारा की कार्यवाही की जा रही है, जबकि वसीयतनामा के आधार पर वह वादग्रस्त भूमि का स्वामी है। प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न विवादग्रस्त है, इसलिए विभाजन की कार्यवाही न की जावे, इस संबंध में प्रकरण के निराकरण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

9. प्रतिवादीगण ने वसीयतनामा इस आधार पर फर्जी होना बताया है कि पूर्व में प्रेमवती अग्रवाल और उनके पुत्र रतनलाल के द्वारा जितने भी वसीयतनामे निष्पादित किये गये हैं, उन सभी में घर के सदस्यों को साक्षी बनाया गया है, जबकि उक्त वसीयतनामे में कोई बाहर के व्यक्ति की साक्ष्य नहीं है, उक्त वसीयतनामा पूर्ण रूप से फर्जी है, अतः फर्जी वसीयतनामे के आधार पर राजस्व दस्तावेजों में दर्ज किये जाने का जो आदेश दिया गया है वह गलत है, क्योंकि

23.09.2001 को ही शामिलाली रूप से उन सभी का नाम दर्ज कराये जाने के लिए आवेदन दिया था, उस समय जब सभी का नाम दर्ज हो रहा था, तब वादी को वसीयत के संबंध में जानकारी थी, फिर भी वसीयत के संबंध में कोई जानकारी किसी को नहीं दी गई। अतः इस प्रकार वादी के द्वारा किया गया कृत्य पूर्णतः संदेहास्पद है और वसीयत के आधार पर उन्हें कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है।

10. वादीगण ने वसीयतनामा दिनांक 16.05.2000 व नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 04.07.05 एवं राजस्व दस्तावेज में नाम दर्ज कराने की कार्यवाही की आदेश पत्रिकाएं, हल्का पटवारी का प्रतिवेदन एवं वादग्रस्त भूमि प्रेमवतीबाई के नाम पर दर्ज होने का खसरा प्रस्तुत किया है, जबकि अनावेदक कं.1/प्रतिवादी कं. 1 की ओर से अपनी माता प्रेमवतीबाई एवं पिता रतनलाल के द्वारा अपनी अन्य भूमियों के संबंध में किये गये वसीयतनामे की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें की अनुप्रमाणक साक्षी उनके घर के सदस्य रहे हैं तथा वर्ष 2015-16 का खसरा प्रस्तुत किया है, जिसमें की वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी कं. 1 कृष्णमोहन, उनका भाई स्व. धरमवीर तथा उनका भाई व वादी का पति स्व. सुखबीर के नाम दर्ज है।

11. आवेदकगण/वादीगण की ओर से सन् 2000 की वसीयत प्रस्तुत की गई है और उक्त वसीयत के आधार पर वर्ष 2004-5 में नामांतरण कार्यवाही बाबत वादीगण की ओर से कार्यवाही की गई है, जिसमें की नायब तहसीलदार हट्टा के न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.05 को अभिलेख दुरुस्ती बाबत आदेश दिया गया है, जबकि प्रेमवतीबाई की मृत्यु के पश्चात् वर्ष 2001 में उसके तीनों पुत्र का नाम उक्त भूमि के संबंध में राजस्व दस्तावेज में दर्ज हो चुका था और उस समय वादी का पति जीवित था और उसका नाम भी राजस्व दस्तावेज में अपने दोनों भाइयों के साथ दर्ज हो गया था, किंतु इसके पश्चात् भी वसीयत के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है तथा राजस्व न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 में वादी के पक्ष में आदेश दिया गया, इसके पश्चात् भी वर्ष 2017 तक राजस्व दस्तावेज में वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ, इस संबंध में भी वादी के द्वारा 12 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि वादी को धारा 116 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

12. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि यदि प्रेमवतीबाई के द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत की जाती तो निश्चित रूप से उसके पति सुखबीर को जो कि उस समय जीवित था नामांतरण के समय आपत्ति करता, तथा वादी के द्वारा भी चार वर्ष पश्चात् वसीयत के आधार पर कार्यवाही की गई है, किंतु राजस्व दस्तावेज में नाम दर्ज हुआ है या नहीं इस संबंध में भी वादी के द्वारा 12 वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि वादी को राजस्व दस्तावेज में अपना नाम इन्द्राज के संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए थी, अपने तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टांत भगवानदास विरुद्ध श्रीराम 2010(2) एम.पी.एल.जे.350 प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि म.प्र.भू-राजस्व संहिता (1959 की 20), धाराएं 257 (Z-2), एवं 116-खसरा या अन्य किसी भूमि अभिलेख में प्रविष्ट संबंधी विवाद-धारा 257 के अधीन वर्जन के कारण सिविल न्यायालय द्वारा ऐसी प्रविष्ट में सुधार करने की राहत नहीं दी जा सकती-पिड़ित व्यक्ति संहिता की धारा 116 के अनुसार ऐसी प्रविष्ट की तारीख से एक साल के भीतर उसके सुधार के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकता है।

13. वर्ष 2001 से वर्तमान वर्ष तक प्रेमवती के तीनों पुत्रों का नाम राजस्व दस्तावेज में दर्ज है। वादी ने वसीयत के आधार पर स्वामी होना बताया है, जबकि प्रतिवादीगण ने वसीयत के फर्जी होने का अभिवचन इस आधार पर किया है कि प्रेमवतीबाई, सुखबीर के साथ नहीं रही है और माता प्रेमवतीबाई और पिता रतनलाल के द्वारा पूर्व में अन्य वसीयत निष्पादित की गई है जिसमें की घर के सदस्यों को अनुप्रमाणक साक्षी बनाया गया, इस वसीयत में बाहर के लोगों के हस्ताक्षर हैं, इसलिए यह वसीयत पूर्णतः फर्जी है। वसीयत फर्जी है या विधिपूर्ण है, इस प्रश्न का निराकरण इस स्टेज पर नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रश्न का निराकरण उभय पक्ष की साक्ष्य आने के उपरांत गुण-दोषों पर किया जावेगा, किंतु वादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रेमवतीबाई के जीवित रहने के पूर्व से और मृत्यु पश्चात् से वर्तमान तक उनका वादग्रस्त भूमि पर कोई आधिपत्य रहा है, वादग्रस्त भूमि पर सभी का आधिपत्य होना वर्तमान खसरे से दर्शित होता है, उक्त वादग्रस्त भूमि में तीनों भाई की स्थिति सह स्वामी की है और सहस्वामी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दिया जा सकता है, अपने आधिपत्य के संबंध में वादी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने से प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है, इसलिए उन्हें कोई असुविधा या क्षति होने की संभावना भी दर्शित नहीं होती है।

14. अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में न होने से आवेदकगण/वादीगण का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश-39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. आई.ए.नंबर-1 का विधिसंगत न होने से **अस्वीकार** किया जाता है।

15. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही / -
(अपर्णा आर.शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)

सही / -
(अपर्णा आर. शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)